न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 03/2015 प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970

1. हरिनारायण पुत्र सांवलराम
2. हरीराम पुत्र गज्जा
3. मुनीम पुत्र गीलाराम
4. घासी पुत्र गीलाराम
5. गिर्राज पुत्र गीलाराम
6. फूलादेवी बेवा गीलाराम
7. दिनेश पुत्र भरतलाल
8. सुगन पुत्र भरतलाल
   जाति मीणा निवासी कुण्डल तहसील व जिला दौसा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. नानगराम पुत्र कल्याण
2. मुरारीलाल पुत्र कल्याण
3. गिर्राज पुत्र कल्याण
4. कमलेश पुत्र कैलाश
5. मु. भूली बेवा कैलाश
   जाति मीणा निवासी कुण्डल तहसील व जिला दौसा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) विरूद्ध नियमन आदेश दिनांक 25.9.1977 अधीनस्थ भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा

उपस्थित–1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर ओर से।
2. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 5 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक: 09.10.2024

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.9.1977 को ग्राम कुण्डल तहसील दौसा के पूर्व खसरा नंबर 445 रकबा 2 बीघा का नियमन अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पूर्वज कल्याण पुत्र छोटू मीणा निवासी कुण्डल के पक्ष में कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इसी नियमन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि योग्य अधिनस्थ भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ... अप्रार्थीगण संख्या एक ला. पाँच के पूर्वज कल्याण पुत्र छोटू मीणा निवासी कुण्डल तहसील दौसा के पक्ष में पारित नियमन आदेश बाबत आराजी पूर्व खं. नं. 445 रकबा 2 बीघा चाही ए वाके ग्राम कुण्डल विधि प्रक्रिया नियम तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। आराजी पूर्व खं. नं. 445 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम कुण्डल चाही (ए) भूमि है जिसके वाद भू प्रबन्ध वर्तमान ख.नं. 1142 रकबा 19 एयर 1144 रकबा 16 एयर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

1146 रकबा 10 एयर किता तीन 45 एयर कायम हुए है। यह भूमि पूर्व रामकिशन पुत्र गणेश मीना की खातेदारी राहिन एवं छोटू पुत्र लादू जाति मीणा मुर्तहीन के रूप में रा.का. अधि. के प्रभावशील होने से पूर्व से अंकित चली आ रही थी। भूमि पक्षकारगण के पूवर्ज छोटू के नाम मुर्तहिन के रूप में अंकित थी अतः कब्जा छोटू का चला आ रहा था। स्व. छोटू के चार पुत्रों में कल्याण सबसे बड़े थे जिनके उत्तराधिकारीगण अप्रार्थीगण संख्या एक ला. पाँच है। द्वितीय पुत्र सांवला उर्फ सांवलराम का उत्तराधिकारी प्रार्थी हरिनारायण है। तृतीय पुत्र गील्या जिसकी मृत्यु हो गई है के उत्तराधिकारी प्रार्थीगण संख्या दो ला. पाँच है तथा चतुर्थ पुत्र कज्जाराम के उत्तराधिकारी प्रार्थीगण संख्या सात, आठ है। इस प्रकार स्व. छोटया के उत्तराधिकारीगण मुर्तहिन के रूप में उक्त भूमि को काश्त करते थे। भूमि ग्राम के समीप चाही किस्म की भूमि है। राहिन खातेदार रामकिशन पुत्र गणेश की मृत्यु हो जाने कारण भूमि ख.नं. 445 के आदेश दिनांक 1.7.75 ई. के अनुरूप सिवाय चक घोषित फरमा दिया गया जिसके कारण नामान्तकरण संख्या 471 ग्राम कुण्डल दिनांक 12.4.76 ई. को तस्दीक होकर भूमि सिवायचक राजकीय भूमि अंकित हो गई कब्जा पक्षकारगण का संयुक्त रूप से पूर्ववत चलता आ रहा है। हम पक्षकारगण स्व. छोटू के पुत्रगण का कर्ता खानदान स्व. छोटू का ज्येष्ठ पुत्र कल्याण था। भूमि ख.नं. 445 पर स्व. कल्याण ज्येष्ठ पुत्र छोटू का कब्जा बताकर पटवारी हल्का ने दिनांक 8.8.77 को मात्र छोटू को अतिक्रमी बताकर प्रतिवेदन तहसीलदार दौसा को प्रस्तुत कर दिया। पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 25.9.77 को उक्त छोटू के नाम अतिकमी राज्य परिपत्र संख्या एफ 6 (10) राज. ग्रुप /77 दिनांक 23.7.77 ई. के अनुसार छोटू को नियमन का पात्र मानकर नियमन की अनुशंषा कर दी जिस पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा स्व. कल्याण पुत्र छोटू के नाम दिनांक 25.9.77 को उक्त भूमि ख.नं. 445 रकबा 2 बीघा नियमन करने के आदेश पारित फरमा दिये गये जबकि भूमि पर स्व. छोटू के जीवनकाल में उनके चारो पुत्रो का कब्जा रहा जो अब पक्षकारगण का कब्जा है। मात्र कल्याण जो छोटू का ज्येष्ठ पुत्र था के नाम नियमन आदेश न्यायोचित नहीं था। आज दिन भी भूमि पर पक्षकारगण का सम्मिलित कब्जा चला आ रहा है भूमि अर्सा 25 वर्षो से पडत चली आ रही है। अकेले स्व. कल्याण के नाम खातेदारी नियमन के आधार गलत अंकित हुई क्योंकि कल्याण का कब्जा उसके अन्य भाईयों से साथ स्व. छोटू के पद चिन्हों पर था। स्व. छोटू का कब्जा मुर्तहिन के रूप में था। अकेले कल्याण के कब्जा होने का प्रतिवेदन पटवारी हल्का द्वारा गलत प्रस्तुत किया गया एवं कल्याण के नाम नियमन आदेश नियमानुसार पारित नहीं फरमाया गया। स्व. छोटू के जीवनकाल में आराजी नियमनशुदा के आधिपत्य के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। स्व. कल्याण की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या एक ला. पाँच अपने नाम खातेदारी अंकित होने के कारण हम प्रार्थीगण को आधिपत्य विहीन कर स्वयं भूमि को अन्तरित करना चाहते है जिसका अप्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त नहीं है। आराजी ख.नं. 445 पर स्व. छोटू के पुत्रगण का कब्जा दिनांक 12.4.76 ई. तक बहैसियत मुर्तहिन रहा दिनांक 8.8.77 को छोटू के पुत्रगण में से मात्र ज्येष्ठ पुत्र कल्याण का कब्जा अतिक्रमण कैसे माना गया जबकि पक्षकारगण छोटू के वारिसान का कब्जा तत्समय था और आज भी है। रहन मुर्तहिन के अंकन बिना किसी आदेश के तहसीलदार द्वारा समाप्त नहीं किये जा सकते थे। रा.का.अधि. के प्रभावशील होने पर मुर्तहिन को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। अतः स्व. कल्याण को मात्र एक वर्ष की अवधि के लिए अतिक्रमी बता कर अधिनस्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित प्रश्नगत नियम आदेश दिनांक 25.9.1977 नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। भूमि नियमन योग्य नहीं थी, बल्कि पक्षकारगण की खातेदारी भूमि थी।योग्य अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 6.9.77 को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अभिलेखीय साक्ष्य के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

प्रतिकूल स्वैच्छिक था जिस पर तहसीलदार दौसा की कल्याण पुत्र छोटू के नाम ख.नं. 445 रकबा 2 बीघा के नियमन की सिफारिश नियमानुसार सही नहीं थी क्योंकि उक्त भूमि पर स्व. छोटू का कब्जा तत्समय था और आज भी हैं। इस प्रकार पटवारी हल्का व तहसीलदार की अनुचित अनियमित कार्यवाही के कारण स्व. कल्याण के नाम हुई नियमन की कार्यवाही खण्डनीय है। नियमन की गई भूमि पक्षकारगण के संयुक्त आधिपत्य की भूमि है जिस पर स्व. कल्याण पुत्र छोटू के नाम किया गया नियमन आदेश तत्काल प्रभाव से खण्डनीय हैं। कल्याण द्वारा नियमन आदेश धोखे से बिना जानकारी प्रार्थीगण करवाया गया था। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ भू–आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा सैंथल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गुप्त रूप से पारित प्रश्नगत नियमन आदेश दिनांक 25.9.77 ई. तथ्यों को छिपाकर स्व. कल्याण पुत्र छोटू के नाम करवाया ग्राम था को निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने बहस में कथन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा मुख्यालय सैंथल पर अप्रार्थी सं0 1 से 5 के पूर्वज कल्याण पुत्र छोटू मीना निवासी कुण्डल के पक्ष में नियमन आदेश पारित किया जाकर आराजी पूर्व खसरा नंबर 445 रकबा 2 बीघा भूमि का नियमन किया गया था। भूमि पूर्व में रामकिशन पुत्र गणेश मीना की खातेदारी में नहीं रही है। नियमन की गई भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज कल्याण का कब्जा चला आ रहा था। भूमि नियमन से पूर्व सिवाय चक भूमि थी। जिस पर कब्जा काश्त होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि नियमन करने की सिफारिश करने के उपरांत भूमि नियमन आदेश जारी किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा सैंथल मुख्यालय पर आवंटी कल्याण मीना को नियमन की सिफारिश होने पर भूमि का आवंटन किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

6. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम सैंथल ने दिनांक 25.4.1977 को खसरा नंबर 445 रकबा 02 बीघा भूमि कल्याण पुत्र छोटू मीना निवासी कुण्डल के पक्ष में नियमन किये जाने की अभिशंषा की गई थी। अतिक्रमी का उक्त नियमन की गई भूमि खसरा नंबर 445 रकबा 02 बीघा भूमि पर खसरा परिवर्तनशील संवत 2032 के अनुसार कब्जा होना प्रमाणित होता है। साथ ही धारा 91 की रिपोर्ट जो कि पटवारी हल्का कुण्डल के द्वारा संवत 2034 में की गई है में भी खसरा नंबर 445 रकबा 02 बीघा भूमि पर बाजरा बुवाई किया जाना प्रमाणित है। संवत 2033 में भी आवंटी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर 02 बीघा भूमि मे बाजरा व गेहूँ बुवाई किया जाना प्रमाणित होता है। आराजी पूर्व खं. नं. 445 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम कुण्डल बाद भू प्रबन्ध वर्तमान ख.नं. 1142 रकबा 19 एयर 1144 रकबा 16 एयर एवं 1146 रकबा 10 एयर किता तीन 45 एयर कायम हुए है। प्रार्थीगण का कथन है कि भूमि पूर्व रामकिशन पुत्र गणेश मीना की खातेदारी राहिन एवं छोटू पुत्र लादू जाति मीणा मुर्तहीन के रूप में रा.का.अधि. के प्रभावशील होने से पूर्व से अंकित चली आ रही थी तथा भूमि पक्षकारगण के पूर्वज छोटू के नाम मुर्तहिन के रूप में अंकित थी एवं कब्जा छोटू का चला आ रहा था लेकिन उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनकी बात को बल मिलता हो। प्रार्थीगण का यह कथन कि भूमि नियमन योग्य नहीं थी, बल्कि पक्षकारगण की खातेदारी भूमि थी इस बाबत भी कोई साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

नितान्त गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे हम निरस्त किये जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति कैंप सैंथल द्वारा कल्याण पुत्र छोटू जाति मीना के पक्ष में किया गया नियमन आदेश बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:17 IST
Reason: SelfAttested